



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052025-263267
CG-DL-E-21052025-263267

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2205]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 2025/वैशाख 30, 1947

No. 2205]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 20, 2025/VAISAKHA 30, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2025

का.आ. 2259(अ).—केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उपधारा (१) के आधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सङ्क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.४०६१(अ) तारीख १९ सितम्बर २०२४ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड-३, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी,द्वारा महाराष्ट्र राज्य के वाशीम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७५३ सी के कि.मी. १३३ /४५० पर काटेपुर्णा नदी पर उच्च स्तरीय प्रमुख पूल का निर्माण हेतु अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपावधि अनुसूची में विर्तिदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ क की उपधारा (३) के अधीन ०२/१०/२०२४ तारीख को “दैनिक हितवाद नागपूर ” और “दैनिक लोकमत ” में प्रकाशित किया गया था;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा ३-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है,जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह धोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह धोषणा करता हू. कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विलंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वाशीम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७५३ सी के कि.मी. १३३/४५० पर काटेपुर्णा नदी पर उच्च स्तरीय प्रमुख पूल का निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: वाशीम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मालेगाव					
गांव का नाम: खिर्डा					
1	८०	सरकारी	नदी	0.136	विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर कार्यकारी अभियंता ल.पा. विभाग ३, वाशीम ८०
2	८१	निजी	कृषिभूमि	0.122	सुभाष देवबा शिंदे, नितीन सुभाष शिंदे, रुचिमनाबाई सुभाष शिंदे ८१
Total				0.258	

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/25/1503]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2025

S.O. 2259(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O.4061(E) dated 19th September 2024, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Construction of New High Level major Bridge on Katepurna River at design chainage 133/450 Bridge on Jalna-

Pulgaon Section NH-753C in District Washim on EPC mode in the State of Maharashtra, hereby declare its intention to acquire such land.

And whereas the substance of the said notification S.O.4061 (E) dated 19th September 2024, has been published in “Dainik Hitavada Nagpur” and “Dainik Lokmat Washim” Both Dated 02/10/2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections filed under section 3-C, Considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land for Construction of New High Level major Bridge on Katepurna River at design chainage 133/450 Bridge on Jalna-Pulgaon Section NH-753C in District Washim on EPC mode in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: WASHIM			
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Malegaon					
Village: Khirda					
1	80	Government	River	0.136	Vidarbha Irrigation Development Corporation Executive Engineer Minor Irrigation Division No.3, Washim 80
2	81	Private	Agriculture	0.122	Subhash Devba Shinde, Nitin Subhash Shinde, Rukhminabai Subhash Shinde 81
Total				0.258	

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/25/1503]

SHAIKH AMINKHAN, Director